न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 182/2024

1. रामप्रसाद पुत्र श्री बंशी जाति सिलावट आयु 68 साल निवासी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री सांवरियालाल पुत्र श्री बंशी जाति सिलावट आयु 66 साल निवासी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
2. श्री मोहनलाल पुत्र श्री बंशी जाति सिलावट आयु 70 साल निवासी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा निर्णय दिनांक 24.06.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की निम्न वर्णित कृषि भूमि ग्राम सिलोरा पटवार हल्का सिलोरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.) में स्थित है।

खाता संख्या		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
नये	पुराने			
168	44	298/24	0.2820 हैक्टेयर	बरानी दोयम

प्रार्थी की उपरोक्त पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि से लगती हुई पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 42 गै.मु. आबादी चरागाह हिस्सा गोचर भूमि खाते की खसरा नम्बर 43 गै.मु रास्ता स्थित है, पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 299/24 स्थित है, उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 297/24 स्थित है, दक्षिण दिशा में गै.मु. सड़क खसरा नम्बर 41 स्थित है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि के अड़ौसी पड़ौसी खातेदारान के मध्य आपसी सीमाओं को लेकर आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

अप्रार्थीगण जुताई हंकाई करते समय तोड फोड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के चर्तुदिशा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण में कोई विवाद पैदा नहीं हो। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियो के सटाकर अप्रार्थीगण की भूमियां स्थित है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी के पड़ौस के खातेदार अप्रार्थीगण, प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं को तोड़ते हुए नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रतिवर्ष कृषि भूमि की जुताई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है। अप्रार्थीगण अपनी निर्धारित सीमा जोत में मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं होने की ओट में प्रार्थी की कृषि भूमि में कब्जा करने का असफल प्रयास करते है जिसको मौके पर प्रार्थी की भूमि पर हदबन्दी करवाकर, उस पर पत्थरगढ़ी करवाकर के ही विवाद को रोका जा सकता है। प्रार्थी ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 25.06.2024 को सीमाज्ञान किया गया था तथा मौका पर्चा तैयार किया गया था जिसे अप्रार्थीगण व उनके परिजन मानने को तैयार नहीं है तथा आये दिन विवाद करते रहते है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थस्गढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण जो प्रार्थी की पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है, को जरिये नोटिस तलब कर मौके पर वरवक्त पत्थरगढ़ी, उपस्थित होने के एवं अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार महोदय, किशनगढ को पत्थरगढ़ी कर हदबन्दी, पत्थरगढ़ी चिन्हित करने के आदेश प्रदान करना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 03 को भूमिधारी होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.) में दिनांक 05.07.2024 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को नष्ट करने का असफल प्रयास किया तथा सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2024 को मानने से इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ तथा वाद कारण तब तब उत्पन्न होता है जब जब अप्रार्थीगण हंकाई जुताई के वक्त सीमाओं को तोड़ फोड़ कर देते है। वाद कारण निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी की ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित भूमि खसरा संख्या 298/24 की चर्तुसीमा की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2024 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 19.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 , 02 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुये किन्तु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। 19.09.2024 तक भी अप्रार्थी संख्या 01 , 02 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 16.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 का जवाब पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा सहमति में जवाब पेश किया किन्तु दिनांक 19.09.2024 को ही एकपक्षीय कार्यवाही होने से उनका जवाब रिकार्ड पर नहीं लिया गया।

दिनांक 17.06.2025 को हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम सिलोरा पटवार हल्का सिलोरा स्थित वादअधीन भूमि खसरा संख्या 298/24 रकबा 0.2820 हैक्टेयर प्रार्थी खातेदारी की आराजी है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 25.06.2024 वादअधीन भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

प्राज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा संख्या सिलोरा पटवार हल्का सिलोरा स्थित वादअधीन भूमि खसरा संख्या 298/24 रकबा 0.2820 हैक्टेयर के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिलोरा पटवार हल्का सिलोरा स्थित वादअधीन भूमि खसरा संख्या 298/24 रकबा 0.2820 हैक्टेयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 1,000/– रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करे । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें. कब्जे की वर्तमान स्थिती में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)